





## प्रेस विज्ञप्ति (शुद्धि-पत्र)

जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल के द्वारा जिले में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत साफ-सफाई, खान-पान, धुलाई एवं अस्पताल परिसर की साफ-सफाई एवं जेनरेटर सेवा हेतु प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों/गैर सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठानों/संवेदको को मनोनयन करने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। दिनांक 05.03.2016 को आयोजित प्री-बीड बैठक में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् निविदा के शर्तों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। संशोधन पश्चात आवश्यक शर्तों/अर्हता को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :-

1. पृष्ठ संख्या (3) पर कंडिका (2):- गैर सरकारी संस्था को Society Registration Act 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए।
2. पृष्ठ संख्या (9) पर कंडिका (3):- निविदा देने वाले संस्था का किसी सरकारी संस्थान के साथ कम से कम 3 वर्ष (पंजीकरण के बाद) का स्वास्थ्य संस्थान से संबंधित कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति देना अनिवार्य है एवं सिविल सर्जन/संबंधित संस्था के जिला स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. पृष्ठ संख्या (3) पर कंडिका (7) एवं पृष्ठ संख्या (9) पर कंडिका (6):- सेवाकर (Service Tax) के तहत निबंधित होने के प्रमाण पत्र के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के सेवा कर रिटर्न की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त संशोधनों के साथ निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 12.03.2016 से बढ़ाते हुए दिनांक 19.03.2016 को अपराह्न 05.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। निविदा दिनांक 21.03.2016 को अपराह्न 3.00 बजे जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल द्वारा गठित दर निर्धारण समिति/चयन समिति के समक्ष अरवल समाहरणालय के सभागार कक्ष में खोली जाएगी। शेष निर्देश/शर्तों/अर्हता यथावत् रहेंगे।

  
12/3/2016  
सिविल सर्जन सह-सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल।

  
12/3/16  
जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल।